क्रम संख्या–11

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0

पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 22/XXXVI(3)/2010/76(1)/2009

देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) का अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

[भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो]

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

धारा 2 की उपधारा (46) का संशोधन

2–उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की वर्तमान उपधारा (46) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

(46) ''कर'' से इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा उपबन्धित विक्रय धन पर देय वास्तविक कर की धनराशि के बदले एकमुश्त धनराशि (समाधान धनराशि), विलोम इनपुट टैक्स और धारा 3(क) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर की धनराशि भी सम्मिलित है।

धारा 3 के बाद एक नयी धारा 3(क) का जोडा जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में–

धारा 3 के बाद निम्नलिखित धारा 3(क) जोड़ दी जायेगी; अर्थात :–

3(क) अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण–

(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिये दायी प्रत्येक ब्यौहारी अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान के अन्तर्गत कर योग्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद या दोनों के आवर्त पर देय कर के साथ पांच प्रतिशत से अनधिक की दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, अतिरिक्त कर भुगतान करने के लिये दायी होगा। विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग–अलग कर दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न पर कोई अतिरिक्त कर उद्ग्रहीत/भुगतान नहीं किया जायेगा :–

(क) अनुसूची–I, II(क), II(ग) तथा III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री या खरीद या यथास्थिति दोनों, के आवर्त पर,

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं के विक्रय या क्रय या यथास्थिति दोनों, के आवर्त पर,

(ग) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4(6) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय या किसी वर्ग के ब्यौहारियों द्वारा किये गये वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार ''इनपुट टैक्स क्रेडिट'' हेतु ग्राह्य होगी।

(4) कोई ब्यौहारी जो धारा 7 (2) के अन्तर्गत समाधान योजना का लाभ ले रहा है, अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में भी समाधान योजना के लाभ के लिये पात्र होगा।

(5) इस धारा के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पांच वर्ष बाद से प्रविरत हो जायेगा।

4–मूल अधिनियम की धारा 4 में–

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नये खण्ड का जोडा जाना

उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(ग) किसी वस्तु के ऐसे पाटर्स, स्पेयर्स एवं एसेसरीज जिनकी कर दर मूल अधिनियम के कहीं अन्यत्र परिभाषित न हो, पर कर की दर वही होगी जो कि मूल अधिनियम के अनुसार उस वस्तु पर देय है।''

5–मूल अधिनियम की धारा 4 में–

धारा 4 की उपधारा (7) के खण्ड (क) तथा उसके परन्तुक एवं खण्ड (ङ) का संशोधन

(एक) उपधारा (7) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द ''केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से'' के स्थान पर शब्द ''2 प्रतिशत की दर से'' रख दिये जायेंगे।

(दो) उपधारा (7) के खण्ड (क) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द ''केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से'' के स्थान पर शब्द ''2 प्रतिशत की दर से'' रख दिये जायेंगे।

(तीन) उपधारा (7) के वर्तमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ङ) रख दिया जायेगा :–

(ङ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण–पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी स्थिति हो, कर का भुगतान किये बिना माल खरीदा हो, और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्कृत सामग्री से निर्मित **''माल''** या ऐसी संवेष्ठन सामग्री के साथ पैक किये जाने के पश्चात् निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा ब्यौहारी स्टॉक ट्रान्सफर या इस प्रकार के संव्यवहार की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर धनराशि का देनदार होगा।

6–मूल अधिनियम की धारा 6 में–

धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुकों तथा उपधारा (8) के खण्ड (ढ) का संशोधन

(एक) धारा 6 की उपधारा (3) के प्रथम तथा द्वितीय, दोनों परन्तुकों में प्रयुक्त शब्द ''केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''2 प्रतिशत से अधिक'' रख दिये जायेंगे।

(दो) धारा 6 की उपधारा (8) के खण्ड (ढ) के बाद उल्लिखित प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द ''केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''2 प्रतिशत से अधिक'' रख दिये जायेंगे।

7–मूल अधिनियम की धारा 25 में–

धारा 25 की उपधारा (3) का संशोधन

वर्तमान उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (3) रख दी जायेगी :–

(3) ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की प्राप्ति विहित रीति से सम्यक् रूप से स्वीकार की जायेगी। जो मामले उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन छानबीन के बाद शेष रह जाते हैं, उन्हें स्वतः निर्धारण के लिए रखा जायेगा और ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी सहित सभी विवरणियाँ दाखिल की गयी हैं तथा तात्विक विशिष्टताओं में सही तथा पूर्ण हैं तो ब्यौहारी उस वर्ष के लिए स्वतः निर्धारित समझा जायेगा और वार्षिक विवरणी की प्राप्ति यथा निर्धारित कर निर्धारण की प्रति समझी जायेगी तथा ऐसी विवरणी में उल्लिखित तथ्य तथा आंकड़े ऐसे कर निर्धारण आदेश के भाग माने जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ विवरणी तात्विक विशिष्टताओं में पूर्ण न हों, ब्यौहारी को उन्हें पूरा करने का एक अवसर दिया जायेगा और कर निर्धारण प्राधिकारी, वाँछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने और/या गणित सम्बन्धी त्रुटि, यदि कोई हो, के ठीक किये जाने और फलस्वरूप देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान किये जाने के पश्चात् इस मामले में आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण–कोई विवरणी तात्विक विशिष्टताओं में पूर्ण है यदि इसमें प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना समाहित है, गणितीय रूप से सही है और इसके साथ कानूनी सूचियाँ, अभिलेख और देयकर के भुगतान का सबूत और ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में दावाकृत कटौतियाँ (जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर कटौतियाँ भी सम्मिलित हैं), छूट और कोई अन्य रियायत या रिबेट के सम्बन्ध में इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 में अपेक्षित समर्थक घोषणा–पत्र, प्रमाण–पत्र या साक्ष्य हैं।

धारा 31 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

8–मूल अधिनियम की धारा 31 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) रख दी जायेगी :–

"(1) किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया हो, ब्यौहारी उक्त आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा आदेश अपास्त करने और उस मामले पर पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना–पत्र दे सकता है और यदि ऐसे अधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला था या वह पर्याप्त कारणों से नियत तारीख को उपस्थित न हो सका था तो वह आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के एक पक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए कोई प्रार्थना–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी द्वारा सभी सावधिक विवरणियाँ तथा वार्षिक विवरणी पूर्ण एवं सही रूप में दाखिल न की गयी हो और उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे ब्यौहारी ने स्वीकार किया हो, भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण न हो।"

धारा 36 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

9–मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के वर्तमान परन्तुक के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित हिन्दी पाठ रख दिया जायेगा :–

"परन्तु यह है कि यदि मामले, जो कि धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसार स्वतः कर निर्धारित मान लिये गये हैं, में कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है तो रिफण्ड वाउचर, उस विशिष्ट कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख अथवा वास्तविक तारीख, जिसमें विवरणी दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की समाप्ति के एक वर्ष समाप्त हो जाने के एक माह के भीतर भेजा जायेगा।"

धारा 48 की उपधारा (1) के बाद एक नये परन्तुक का जोड़ा जाना

10–मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा :–

"प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत वर्ग के करदाता कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा विहित श्रृंखला तथा क्रमांक के आयात घोषणा–पत्र स्वयं डाउनलोड करके माल के आयात हेतु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं।"

धारा 62 की उपधारा (2) के बाद परन्तुक का जोड़ा जाना

11–मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 62 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा :–

"प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी जो अधिनियम के अन्तर्गत केवल करमुक्त वस्तुओं की खरीद और बिक्री का व्यापार करते हैं अथवा ऐसे ब्यौहारी को, जो विशेष प्रवर्ग के माल की पश्चात्वर्ती बिक्री करते हैं, उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राविधानित लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Third Amendment) Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 11 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2010).

No. 22/XXXVI(3)/2010/76(1)/2009
Dated Dehradun, January 07, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTARANCHAL VALUE ADDED TAX ACT, 2005)

(THIRD AMENDMENT) ACT, 2009

(ACT NO. 11 OF 2010)

Further to amend The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005)

AN

Act

[Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows]

1. (1) This may be called 'The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Third Amendment) Act, 2009. — Short Title and Commencement

(2) It shall come into force at once.

2. In the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, hereinafter referred to as the Principal Act, for the existing sub-section (46), the following sub-section shall be substituted; namely :-- — Amendment of Sub-section (46) of Section 2

(46) "Tax" means the tax payable under this Act, and includes the amount as lump sum (composition money) accepted in lieu of actual amount of tax due on the turnover as provided under Section 7 of the Act, amount of reverse input tax credit and the amount of additional tax leviable under section 3 (A).

3. In section 3 of the Principal Act-- — Addition of new Section 3(A) after Section 3

After section 3, the following section 3 (A) shall be inserted namely :--

3(A) Levy of Additional Tax--

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act but subject to the provisions of sub-section (2), every dealer liable to pay tax under this Act shall be liable to pay in addition to the tax payable under any other provision of this Act, an additional tax on the taxable turnover of sale or purchase of goods or both, at such rate not exceeding five percent, as may be specified by the State Government by notification in the gazette. Different rates may be specified in respect of different goods or different classes of goods.

(2) No additional tax under sub-section (1) shall be levied and paid on

(a) the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods specified in Schedule-I, II (A), II(C) and III;

(b) turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods declared to be special importance in the inter-State trade or commerce under Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;

(c) such sale or purchase, or sale or purchase of such goods by such class of dealer, as may be specified in the notification issued by the State Government under section 4 (6).

(3) The amount paid under sub-section (1) shall be eligible for input tax credit in accordance with the provisions of Section 6.

(4) Any dealer who avails the facility of composition of tax under section 7 (2) shall also be eligible for availing the facility of composition with respect to additional tax.

(5) The additional tax leviable under this section shall cease to be levied after a period of five years from the date of publication of the notification issued by the State Government under sub-section (1).

Addition of a new clause after clause (b) of Sub-section (3) of Section 4

4. In Section 4 of Principal Act

a new clause (c) shall be added after clause (b) of sub-section (3); namely--

"(c) the rate of tax on such parts, spares and accessories, which are not classified elsewhere in the Principal Act, shall be same as applicable to that commodity under said Act."

Amendment of its clause(a) and its proviso and clause (e) of Sub-section (7) of Section 4

5. In Section 4 of Principal Act-

(i) In clause (a) of sub-section (7), for the words "the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" occurring therein, the words **"at the rate of 2 percent"** shall be **substituted.**

(ii) In the proviso of clause (a) of sub-section (7), for the words "the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" occurring therein, the words **"at the rate of 2 percent"** shall be **substituted.**

(iii) For the existing clause (e) of sub-section (7), the following clause (e) shall be **substituted :--**

(e) Where a dealer in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause(b) has purchased the goods or after packing such manufactured goods with such packing material after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payent of tax under this sub-section and the Goods manufactured out of such raw material procured or after packing such manufactured goods with such packing material are sold or disposed of other than by way of sale in the State or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export outside Indian territory such dealer shall be liable to pay an amount equal to 2 percent of the amount of stock transfer or other such transactions.

6. In Section 6 of the Principal Act- Amendment of provisos to Sub-section(3) and clause (n) of Sub-section 8 of Section 6

(i) In both, the first and second provisos to sub-section (3) of section 6, for the words "in excess of the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" occurring therein, the words **"in excess of 2 percent"** shall be **substituted.**

(ii) In the first proviso mentioned after clause (n) of sub-section (8) of section 6, for the words "in excess of the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" occurring therein, the words **"in excess of 2 percent"** shall be **substituted.**

7. In Section 25 of the "Principal Act"- Amendment of Sub-section (3) of Section 25

For the existing sub-section (3) the following sub-section (3) shall be **substituted;** namely :--

(3) The return furnished by dealer shall be duly acknowledged in the manner prescribed. The cases remaining after the scrutiny under the provisions of sub-section (4) shall be taken up for self assessment and in respect of such cases where all the returns including the annual return relating to an assessment year have been filed and are correct and complete the material particulars, the dealer shall, be deemed to have been self-assessed for that year and the acknowledgement of the annual return as prescribed shall be deemed to be the copy of assessment order **and facts disclosed and figures mentioned in such return shall be deemed to be part of such assesement order :**

Provided that where the returns are not complete in material particulars, the dealer shall be given an opportunity to complete them, and the asssessing authority shall, after the required document have been furnished to him and/or arthmetical mistake, if any, has been corrected and tax due, if any, as a result thereof has been paid, pass an order in the matter.

Explanation : A return is complete in material particulars if its contains the information required to be furnished therein, is correct arthmetically, accompanied with the statutory lists, documents and proof of payment of tax due and the supporting declarations, certificates, or evidence required under this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of amount of deductions (including deduction on the basis of input tax credit), exemptions and any other concessions or rebates claimed by the dealer in the returns are furnished.

Subsitution of Sub-section (1) of Section 31

8. For the existing sub-section (1) of section 31 of the "Principal Act" the following sub-section shall be **substituted;** namely :--

"(1) In any case in which an order of assessment or reassessment or order of penalty is passed ex-parte, the dealer may apply to the assessing authority within thirty days of the service of the order to set aside such order and reopen the case; and if such officer is satisfied that the applicant did not receive notice or was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, he may set aside the order and reopen the case for hearing :

Provided that no such application for setting aside such ex-parte order shall be entertained unless **the dealer has submitted all periodical returns and Annual Return completely and correctly** and it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the amount of tax admitted by the dealer to be due.

Addition of a new proviso after the existing proviso to Sub-section (1) of Section 48

9. After the existing proviso to sub-section(1) of section 48 of the "Principal Act" a new proviso shall be **added;** namely :--

"Provided that the class of assessees authorised by the Commissioner, Commercial Tax may themselves download the Declaration Form for Import of the series and serial no. prescribed by the Commissioner, Commercial Tax and may use them in accordance with the Act and the rules made thereunder."

Addition of proviso after sub-section (2) of Section 62

10. After the existing sub-section (2) of section 62 of the "Principal Act" the following proviso shall be added; namely :--

"Provided that the dealers dealing exclusively in purchase and sale of goods exempted from tax under the Act or the dealers making subsequent sale of Special Category Goods need not submit audit report provided under sub-section (1)."

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 2 विधायी/29–2010–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।